14/5/25

पत्रावली पेश/प्रार्थी [illegible] प्रकरण [illegible] जाप्ता [illegible] किया जाता है कि [illegible] प्रकरण में [illegible] जावे पत्रावली शामिल [illegible] नायब पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] शामिल [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
93 / 2024	24.09.2024	14.05.2025

बउनवान

1. धर्मसिंह पुत्र श्री सुमराराम जाति जाट निवासी जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

–: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 136
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

श्री नीरज कुमार जाट :– प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 576/0.06 हैव0, 390/0.11 हैव0, 391/0.11 हैक0, 147/0.06 हैव0, 347/0.16 हैव0, 350/0.22 हैव0, 351/0.11 हैक0, 352/0.10 हैक0, 715/0.13 हैव0, 275/0.03 है40, 276/0.03 हैव0, 726/0.16 हैव0, 759/0.15 हैक0, 785/0.44 हैव0, 869/0.72 हैक०, वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर में स्थित है। उक्त आराजी में हो रहा प्रार्थी के नाम दुरूस्ती बाबत विवाद है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खानदानी आराजी है जिस पर कदीमी काबिज होकर प्रार्थी अपने हिस्से पर व अन्य सहखातेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है मौके पर आज भी प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा के कब्जा बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं है प्रार्थी अपने अपने हिस्से व स्थान पर काबिज है।
4. यह है कि आराजी मुतनाजा में सहवन से प्रार्थी का नाम धनसिंह दर्ज हो रहा है तथा जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम धर्मसिंह है और धर्मसिंह के नाम से सभी दस्तावेज प्रार्थी के बने हुये है। तथा प्रार्थी के दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम धर्मसिंह दर्ज है। प्रार्थी को गांव में धर्मसिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता है। लेकिन राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थी का नाम धनसिंह दर्ज कर दिया जिसे मिन प्रार्थी दुरूस्त कराकर धर्मसिंह दर्ज कराना चाहता है।
5. यह है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में धनसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी अपने अधिकारों से महरूम रह रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में धनसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी केडिट कार्ड से ऋण उठाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से व आरांजी पर विद्युत कनैक्शन लेने, विक्रय करने, विनिमय करने के अधिकारो से वंचित रह रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

सुरे
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6. यह है कि आराजी मुतनाजा में प्रार्थी का नाम धनसिंह दर्ज होने की जानकारी दिनांक 18/09/2024 को हुयी जब प्रार्थी रिकोर्ड की नकले निकलवायी उसके बाद प्रार्थी अप्रार्थी से नाम शुद्वी के लिये निवेदन करता रहा और तहसील कार्यालय में चक्कर लगाता रहा लेकिन प्रार्थी का नाम दुरुस्त नहीं किया तो अंत में न्यायालय श्रीमान में प्रार्थना पत्र मिली कानूनी सलाह से पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :-

- अतः अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी ख० नं० हाल 576/0.06 हैक्0, 390/0.11 हैक्0, 391/0.11 हैक्0, 147/0.06 हैक्0, 347/0.16 हैक्0, 350/0.22 हैक्0, 351/0.11 हैक्0, 352/0.10 हैक्0, 715/0.13 हैक्0, 275/0.03 हैक्0, 276/0.03 हैक्0, 726/0.16 हैक्0, 759/0.15 हैक्0, 785/0.44 हैक्0, 869/0.72 हैक्०, वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रार्थी का नाम धनसिंह के स्थान पर धर्मसिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के संबंध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की , जो शामील पत्रावली है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025, ग्राम पंचायत बासनी का पत्र दिनांक 19.11.2024, स्वंय, छाजूराम, रोशन, सम्पत का शपथ-पत्र, जामबन्दी सम्वत 2071-74 किता 21, इन्तकाल संख्या 404 पेश की है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि प्रार्थी का नाम विवादित आराजी के रिकोर्ड में धनसिंह राजस्व रिकोर्ड दर्ज है, जो गलत है। क्योकि प्रार्थी का दस्तावेजी सही नाम धर्मसिंह है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर धनसिंह के स्थान पर धर्मसिंह दर्ज किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम धनसिंह ना होकर धर्मसिंह है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकर किया जाता है कि आराजी ख० नं० हाल 576/0.06 हैक्0, 390/0.11 हैक्0, 391/0.11 हैक्0, 147/0.06 हैक्0, 347/0.16 हैक्0, 350/0.22 हैक्0, 351/0.11 हैक्0, 352/0.10 हैक्0, 715/0.13 हैक्0, 275/0.03 हैक्0, 276/0.03 हैक्0, 726/0.16 हैक्0, 759/0.15 हैक्0, 785/0.44 हैक्0, 869/0.72 हैक्०, वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉड में दर्ज धनसिंह को कलमजन किया जाकर प्रार्थी धर्मसिंह के नाम का अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0